5 COURT FEE भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

10 COURT FEE भारत दस रुपये TEN RUPEES

60

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

रिव्यू - 1588 - II/2001

प्रकरण क्रमांक /2001 पुनरावलोकन (रिव्यू)

श्री एस० के० श्रीवास्तव अभि० द्वारा आज दि० 25/8/2001 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

25 AUG 2001

१। श्रीमती जैलेबिया पत्नी श्री राम-सजीवन २। राजाराम पुत्र श्री ठाकुरदीन ३। रोशनलाल पुत्र श्री रामाकांत ४। नन्दलाल पुत्र श्री रामचन्द्र सभी निवासीगण बेदनपुरवा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा, म०प्र० --- प्रार्थीगण

विरूद्ध

१। बच्चूलाल पुत्र श्री विशम्भर प्रसाद २। शंकरप्रसाद ३। बाबूलाल ४। स्वामीदीन पुत्रगण वासुदेव, सभी निवासीगण ग्राम पटेहरा, तहसील त्योंथर, जिला रीवा म०प्र० -- प्रतिप्राथीगण

पुनरावलोकन विरूद्ध आदेश माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर (श्री रामसिंह जी) दि० ६-८-२००१ अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू राजस्व संहिता, १९५९। प्रकरण क्रमांक २२५२-तीन/२००० निगरानी।

श्रीमान,

पुनरावलोकन का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि इस माननीय न्यायालय की आज्ञा प्रत्यक्षदर्शी एवम् अभिलेख की स्पष्ट भूल पर आधारित होने के कारण निरस्ती योग्य है।

(२) यहकि इस माननीय न्यायालय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है।

(३) यहकि प्रार्थीगण की ओर से जो आपत्तियां इस माननीय न्यायालय में निगरानी मेमो में उठाई गई थी तथा जिन

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु /1588–एक/01 जिला –रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 21.7.16 | आवेदक की ओर से श्री एस0 के0 अवस्थी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया।<br>2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2252–तीन/2000 में पारित आदेश दिनांक 09.08.01 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1588–एक/01 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।<br>3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2252–तीन/00 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 09.8.01 से किया जा चुका है।<br>4–रिव्यु प्र0क0 1588–एक/01 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– | |

**अ–नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।**

**ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।**

**स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।**

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

(के0 सी0 जैन)
सदस्य